Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X, General Impact Factor : 2.3982, Volume 07, No. 04, October, 2017, pp. 323-328

जीवन बीमा कोषों का विनियोग प्रबन्ध (भारतीय जीवन बीमा निगम के सन्दर्भ में एक आलोचनात्मक अध्ययन)

डॉ. विकास बंसल*

सारांश

प्रस्तुत लेख भारतीय जीवन बीमा निगम के जीवन बीमा कोषों के प्रभावी विनियोग प्रबन्ध का वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत करता है। इसमें भारत में बीमा उद्योग के निजीकरण के पश्चात् विनियोगों पर पड़ने वाले प्रभावों का तार्किक विश्लेषण किया गया है। इसके अन्तर्गत निगम की आय–व्यय का भी आलोचनात्मक प्रस्तुतीकरण दिया गया है। अन्त में निगम विनियोगों का औद्योगिक विकास एवं सामाजिक दायित्वों की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका का व्यावहारिक विश्लेषण दिया गया है।

भारतीय जीवन बीमा निगम

विश्व में सर्वप्रथम 19 जनवरी, 1956 को भारत में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण करने हेतु एक अध्यादेश जारी किया गया। जिसके परिणामस्वरूप जीवन बीमा व्यवसाय में कार्यरत सभी 245 विदेशी एवं निजी कम्पनियों के व्यवसाय पर भारत सरकार का एकाधिकार प्राप्त हो गया। जीवन बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण की घोषणा के बाद लगभग सात महीनों तक इसका संचालन केन्द्रीय वित्त विभाग के हाथों में रहा। अन्त में जीवन बीमा व्यवसाय के प्रभावी संचालन हेतु 18 जून 1956 को संसद में **''जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956''** पारित किया गया जो 01 जुलाई, 1956 से प्रभावी हो गया। इसके अन्तर्गत 01 सितम्बर, 1956 से 'भारतीय जीवन बीमा निगम' की स्थापना की गई। यह निगम एक पृथक वैधानिक अस्तित्व वाला, समामेलित सार्वजनिक संस्था है।

निगम का प्रमुख उद्देश्य जनता को बीमा द्वारा वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, किन्तु यह निगम देश की छोटी–छोटी बचतों को गतिशील बनाकर पूँजी निर्माण को प्रोत्साहित करता है। निगम प्रीमियम के रूप में एकत्रित राशि को देश की राष्ट्रीय एवं औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण योजनाओं में विनियोजित करता है।

जीवन बीमा कोष

''जीवन बीमा कोष से आशय 'किसी भी बीमा संस्था की समस्त वार्षिक प्राप्तियों में से चालु दावों एवं अन्य व्ययों का भुगतान करने के बाद शेष बचे हुए आधिक्य से होता है।'' यह आधिक्य सन्तोषजनक आर्थिक स्थिति का द्योतक है क्योंकि अधिशेष के कारण ही कम्पनी को लाभ प्राप्त होता है किन्तु यदि शुद्ध आधिक्य की तुलना में जीवन बीमा निधि की राशि कम हो तो इससे हानि प्रकट होती है।

जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण (1956) करते समय भारत में कार्यरत सभी 245 देशी एवं विदेशी जीवन बीमा संस्थाओं की कुल जीवन बीमा निधि मात्र 300 करोड़ रूपये थी। वर्ष 1999–2000 में जब भारत सरकार ने जीवन बीमा व्यवसाय का पुनः निजीकरण किया तब निगम का कुल जीवन बीमा कोष लगभग 1,54,044 करोड़ रूपये था अर्थात 43 वर्षो में जीवन बीमा कोष में 513 गुना वृद्धि हुई। वर्ष 1915–16 के अन्त में निगम के कुल जीवन बीमा कोष की राशि 2057625 करोड़ रूपये थी। यह वृद्धि 1999–2000 की तुलना में 13.35 गुना थी। निगम का कुल जीवन बीमा कोष निम्न सारणी से स्पष्ट है।

* व्याख्याता, व्यावसायिक प्रशासन विभाग, वाणिज्य संकाय, वेदान्त महाविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

सारणी 1: निगम का जीवन बीमा कोष

(राशि करोड़ रूपयों में)

वर्ष	जीवन बीमा कोष	सूचकांक
2011-12	12,83,990.72	100.00
2012-13	14,33,103.14	111.61
2013-14	1607024.98	125.15
2014-15	1824194.96	142.07
2015-16	2057625.38	160.25

स्त्रोत : वार्षिक प्रतिवेदन, भारतीय जीवन बीमा निगम

उपरोक्त सारणी से यह पता लगता है कि निजीकरण के पश्चात् निगम के जीवन बीमाकोष में निरन्तर वृद्धि हुई है। पिछले 5 वर्षो में निगम के कुल जीवन बीमा कोष में 60.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो उल्लेखनीय है। निगम के जीवन बीमा कोष का विश्लेषण करने हेतु निगम की आय एवं व्ययों का विवरण इस प्रकार है :–

निगम की आयः

किसी भी जीवन बीमा संस्था के जीवन बीमा कोष में निरन्तर वृद्धि संस्था की आय पर निर्भर करती है। बीमा संस्थाओं की आय का प्रमुख साधन बीमाधारकों से प्राप्त प्रीमियम होता है। इसके अतिरिक्त विनियोग एवं अन्य मदों से भी कुछ आय प्राप्त होती है। आय के अतिरिक्त जीवन बीमा व्यवसाय में मूल्यन के फलस्वरूप जो अधिशेष होता है वह भी जीवन बीमा कोष वृद्धि में योगदान करता है। इस प्रकार जीवन बीमा कोष के दो स्त्रोत होते है। संस्था की आय एवं मूल्यन अधिशेष।

1. **संस्था की प्रीमियम एवं विनियोग से आय–**भारतीय जीवन बीमा निगम की आय का प्रमुख स्त्रोत **प्रीमियम से आय** है जो बीमा व्यवसाय से प्राप्त होती है। निगम को दूसरा आय का प्रमुख स्त्रोत **विनियोगों से प्राप्त आय** है जो लाभांश एवं ब्याज के रूप में मिलती है। इसके अतिरिक्त बीमापत्रों के हरण, बीमापत्रों के समर्पण एवं विशेष प्रीमियम (दुर्घटना लाभ प्रीमियम) से भी निगम को पर्याप्त आय होती है। भारतीय जीवन बीमा निगम का विभिन्न स्त्रोतों से कुल आय निम्न सारणी से स्पष्ट है।

सारणी 2: निगम का प्रीमियम एवं विनियोग से आय

(राशि करोड़ रूपयों में)

वर्ष	प्रीमियम से आय	विनियोग से आय
2011-12	2,02,802.90	90,266.87
2012-13	2,08,589.72	1,03,882.10
2013-14	2,36,798.07	1,18,097.00
2014-15	2,39,482.77	1,35,483.09
2015-16	2,66,225.38	1,51,338.27

स्त्रोत : वार्षिक प्रतिवेदन, भारतीय जीवन बीमा निगम

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि आलोच्य वर्षो में निगम की प्रीमियम से आय एवं विनयोग से आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2011–12 की तुलना में वर्ष 2015–16 में प्रीमियम से आय एवं विनियोग से आय में क्रमशः 31.27 एवं 67.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जीवन बीमा व्यवसाय के निजीकरण के बाद निगम ने अपने व्यवसाय में निरन्तर वृद्धि की है एवं विनियोगों को अधिक लाभप्रद रूप में विनियोजित किया है।

2. **मूल्यन अधिशेषः** भारतीय जीवन बीमा निगम की आय का दूसरा स्त्रोत मूल्यन अधिशेष हाता है। प्रत्येक व्यवसाय में प्रतिवर्ष यह ज्ञात किया जाता है कि उसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। इसको ज्ञात करने हेतु लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है परन्तु जीवन बीमा व्यवसाय एक दीर्घकालीन संविदा होने के कारण इसकी प्रकृति भिन्न होती है अतः इसमें लाभ–हानि खाते के स्थान पर आगम–निगम खाता तैयार किया जाता है जिसमें समस्त वार्षिक प्राप्तियों में से चालु दावों एवं अन्य व्ययों का भुगतान करने के बाद जो बच जाता है उसे जीवन बीमा कोष में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार जीवन बीमा संस्था की वास्तविक व्यावसायिक जानने के लिए बीमांकन से मूल्यन कराया जाता है। मूल्यन से निगम को निम्न स्त्रोतों से अधिशेष प्राप्त होता है।

(अ) प्रीमियम से अधिशेष : जीवन बीमा व्यवसाय में प्रीमियम निर्धारित करते समय यह सुनिश्चित करना होता है कि विभिन्न दायित्वों की पूर्ति के लिए प्रीमियम से पर्याप्त धन उपलब्ध हो सके। इसलिए इसके निमित्त जो मृत्यु दर, ब्याज दर और बोझन दर अनुमानित की जाती है वह ऐसी होती है जो वास्तविक लागत की तुलना में अधिक होती है, जिससे अधिक प्रीमियम आय होती है जिसके फलस्वरूप अधिशेष होता है।

(ब) मृत्यु दर से अधिशेषः प्रीमियम निर्धारित करते समय अपनायी गई मृत्यु संख्या सारणी में अंकित मृत्यु दर प्रायः वास्तविक मृत्यु दर से अधिक होती है। यह भी देखा गया है कि स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं के सुधार होने के कारण वास्तविक मृत्यु दर उत्तरोत्तर घटती जा रही है। मूल्यनके समय प्रायः इस घटी हुई मृत्यु दर का ही अधार ग्रहण किया जाता है। इसके फलस्वरूप अधिशेष होता है।

(स) ब्याज से अधिशेष : इसी प्रकार कम्पनी प्रीमियम निर्धारण के समय जो ब्याज दर अनुमानित करती है, वह कम होती है, जबकि अपनी विनियोग नीति की कुशलता से कम्पनियाँ काफी ऊँची दर से ब्याज उपार्जित करती है। इसके अतिरिक्त, बहुधा प्रतिभूतियों को ऊँची कीमतों पर बेचकर पूँजीगत लाभ भी अर्जित किया जाता है। इन कारणों से ब्याज से भी अधिशेष होता है किन्तु प्रीमियम निर्धारित करते समय यदि ऊँची ब्याज दर अनुमानित की गई हो और आगे चलकर सभी प्रतिभूतियों एवं विनियोगों पर ब्याज दर घटने की प्रवृत्ति हो तब अधिशेष की गुंजाइश नहीं रहती और घाटे की सम्भावना होती है।

(द) बोझन से अधिशेषः कम्पनियाँ, व्ययों के लिए लाभ सहित बीमापत्रों के प्रति बोनस के लिए शुद्ध प्रीमियम में जिस दर से बोझन करती हैं उससे भी बहुधा अधिशेष उपलब्ध होता है। बीमा कम्पनियाँ अपने वास्तविक व्यय अनुपात को जितना कम कर सकेंगी उतना ही अधिक अधिशेष उपार्जित करने की गुंजाइश रहेगी। इसी प्रकार बोनस के लिए जो बोझन किया जाता है उसकी दर प्रायः ऊँची होती है, जिसको कुशल ढंग से विनियोजित करके भी अधिशेष प्राप्त किया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्राप्त मूल्यन अधिशेष निम्न सारणी से स्पष्ट है।

सारणी 3: निगम का मूल्यन अधिशेष एवं विविध आय

(राशि करोड़ रूपयों में)

वर्ष	मूल्यन अधिशेष एवं विविध आय	प्रतिशत
2011-12	15,330.04	100.00
2012-13	21,243.20	138.57
2013-14	32,685.21	213.21
2014-15	26,461.00	172.61
2015-16	13,872.53	90.49

स्त्रोत : वार्षिक प्रतिवेदन, भारतीय जीवन बीमा निगम

सारणी–3 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि निगम के मूल्य अधिशेष एवं विविध आय में वर्ष 2011–2012 की तुलना में वर्ष 2013–2014 में दुगुनी से ज्यादा (113.21 प्रतिशत) वृद्धि हुई है परन्तु वर्ष 2015–2016 में वृद्धि के स्थान पर 9.51 प्रतिशत की कमी कुई है। जो एक विचारणीय विषय है। इस प्रकार निगम को विभिन्न स्त्रोतों एवं मूल्यन अधिशेष से कुल शुद्ध आय प्राप्त होती है जो निम्न सारणी से स्पष्ट है।

सारणी 4: निगम की विभिन्न स्त्रोतों से कुल आय

(राशि करोड़ रूपयों में)

वर्ष	कुल शुद्ध आय	सूचकांक
2011-12	3,08,399.81	100.00
2012-13	3,33,715.07	108.21
2013-14	3,80,012.44	123.23
2014-15	4,07,586.35	132.16
2015-16	4,24,186.68	137.54

स्त्रोत : वार्षिक प्रतिवेदन, भारतीय जीवन बीमा निगम

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि पिछले पाँच वर्षो में भारतीय जीवन बीमा निगम की कुल शुद्ध आय में 37.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है परन्तु कुल शुद्ध आय की औसत वृद्धि मात्र 20.23 प्रतिशत रही है।

निगम के व्ययः

प्रत्येक जीवन बीमा संस्था को अपनी आय का अधिकांश भाग विविध खर्चो पर व्यय करना पड़ता है। जैसे दावों का भुगतान, प्रबन्ध एवं संचालन व्यय, अभिकर्ताओं का कमीशन, कर्मचारियों का वेतन एवं अन्य व्यय आदि। निगम के कुल व्यय को निम्न सारणी से स्पष्ट किया गया है।

सारणी 5: निगम का कुल व्यय (राशि करोड़ रूपयों में)

वर्ष	सकल कुल व्यय	सूचकांक
2011-12	1,54,548.38	100.00
2012-13	1,77,229.46	114.68
2013-14	2,06,120.60	133.37
2014-15	1,90,376.38	123.18
2015-16	1,90,756.25	123.43

स्त्रोत : वार्षिक प्रतिवेदन, भारतीय जीवन बीमा निगम

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि निगम के सकल व्ययों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। पिछले पाँच वर्षो की औसत वृद्धि 18.93 प्रतिशत रही है जो बहुत ज्यादा है। निगम को इसे कम करने का प्रयास करना चाहिये। निगम के कुल व्ययों का विस्तृत विवेचन अधोलिखित रूप में किया गया है।

1. **दावों का भुगतानः** निगम के कुल व्यय का अधिकांश भाग दावों के भुगतान में होता है। दावों का भुगतान मुख्य रूप से परिपक्वता दावे, मृत्यु दावे, वार्षिकी एवं समर्पण के समय होता है।

2. **बोनसः** दावों के भुगतान के पश्चात् सबसे बड़ा व्यय बोनस होता है जो बीमाकर्ता के संचालक मण्डल के निर्णयानुसार किया जाता है। जीवन बीमा अधिनियम, 1956 की धारा 98 के अनुसार कुल अतिरेक का 95: तक बोनस के रूप में बाँटा जा सकता है। जीवन बीमा व्यवसाय में बोनस कई प्रकार के होते है जैसे नकद बोनस, प्रीमियम घटाने वाला बोनस, प्रत्यावर्ती बोनस। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रत्यावर्ती बोनस का भुगतान किया जाता है जो दावों निपटाने के साथ किया जाता है। निगम द्वारा किये गये दावों का भुगतान बोनस सहित निम्न सारणी से स्पष्ट है।

सारणी 6: निगम द्वारा किये गये दावों का भुगतान (बोनस सहित) (राशि करोड़ रूपयों में)

वर्ष	परिपक्वता	मृत्यु	वार्षिकी	समर्पण	कुल
2011-12	63,347.00	8,564.40	5,281.27	41,540.19	1,75,733.76
2012-13	64,534.46	9,413.53	6,308.28	56,033.39	1,36,289.64
2013-14	81,112.89	10,289.25	8,465.18	59,651.91	1,59,519.23
2014-15	83,372.96	10,289.23	5,059.95	46,563.83	1,46,025.50
2015-16	88,389.61	12,159.28	5,569.87	37,326.41	1,43,445.17

स्त्रोत : वार्षिक प्रतिवेदन, भारतीय जीवन बीमा निगम

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि दावों के भुगतान की मात्रा में निरन्तर वृद्धि हो रही है। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि कतिपय दावों का भुगतान किन्हीं कारणों से नहीं हो पाता है। अतः निगम को बकाया दावों की राशि का प्रावधान रखना चाहिए क्योंकि यह निगम का दायित्व है जो भविष्य में जीवन बीमा कोष पर प्रभाव डालता है।

3. **प्रबन्ध या संचालन एवं विनियोग व्यय :** उपरोक्त व्यय मदो के अतिरिक्त संचालन एवं विनियोग व्ययों पर भी आय की एक पर्याप्त राशि खर्च होती है। यह खर्च निम्नलिखित होते है।

(अ) प्रारम्भिक खर्चे : प्रारम्भिक खर्चे वे होते हैं जो बीमा अनुबन्ध करने से पूर्व तथा बीमापत्र जारी करते समय किये जाते हैं। ऐसे समय पर नये बीमापत्रों का विक्रय करने, उनका अभिगोपन करने तथा नये बीमापत्र जारी करने आदि के लिए अनेक खर्चे करने होते हैं। उदाहरण के लिए एजेन्टों के कमीशन, विकास अधिकारियों का वेतन, विज्ञापन तथा प्रचार करने, चिकित्सा परीक्षा करवाने, प्रस्ताव पत्रों की जाँच करने, बीमापत्र तैयार करने, उन पर आवश्यक मुद्रांक लगाने आदि में अनेक खर्चे करने होते हैं।

(ब) दैनिक खर्चे : बीमा प्रीमियम प्राप्त करने तथा उनका लेखा करने को भी अनेक खर्चे करने पड़ते हैं। इन खर्चों में प्रीमियम देय होने की सुविधा भेजने, प्रीमियम की रसीदें छपवाने, भुगतान प्राप्त करने, रसीदे छपवाकर भुगतान की रसीदें तैयार करने, उनका लेखा करने, चैकों को बैंक में जमा करवाने की कार्यवाही करने आदि के खर्चे सम्मिलित है।

(स) सेवा शुल्क : बीमाकर्ता को ग्राहकों को विभिन्न सेवाएँ देने के लिए भी कई खर्च करने पड़ते हैं। इन खर्चों में बीमित से पत्राचार करने, परिपक्वता या मृत्यु पर भुगतान करने, बीमापत्रों के हस्तांकरन या नामांकन करने, बीमितों के पतों में परिवर्तन नोट करने, बीमापत्रों के समर्पण को स्वीकार करने, बीमापत्र पर ऋण देने सम्बन्धी कार्यवाही करने आदि खर्चे सम्मिलित हैं।

(द) सामान्य खर्चे : इन खर्चों में अनुसन्धान के खर्चे, वैधानिक खर्चे, वैधानिक प्रक्रिया को पूरा करने सम्बन्धी खर्चे, प्रीमियम निर्धारण के खर्चे, संस्थापन विभाग के खर्चे आदि सम्मिलित होते हैं।

(य) विनियोग खर्चे : कोषों के विनियोग पर भी अनेक खर्चे करने होते हैं। उदाहरण के लिए यदि कम्पनी के अंशों में धन विनियोग किया गया है तो उसके क्रय एवं विक्रय पर चुकाई गई दलाली। प्रार्थना–पत्र लगाने की दशा में प्रार्थना पत्र भरने तथा असफल प्रार्थना पत्रों पर लगे धन पर ब्याज की हानि भी कोषों के विनियोग के ही खर्चे माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त निगम को **कर** भी चुकाना पड़ता है। उपरोक्त खर्चो का विस्तृत विवरण निम्न सारणी से स्पष्ट है।

सारणी 7: निगम के कुल प्रबन्ध व्यय (राशि करोड़ रूपयों में)

वर्ष	अभिकर्ताओं का कमीशन आदि	कर्मचारियों का वेतन एवं अन्य लाभ	अन्य कार्यालय एवं विनियोग व्यय	कुल खर्च
2011-12	14,035.63	10,099.86	4,814.54	31,475.04
2012-13	14,707.08	11,894.91	4,812.75	31,475.64
2013-14	16,681.29	14,705.11	5,572.77	36,959.17
2014-15	15,092.10	14,523.44	7,869.25	37,484.79
2015-16	15,477.17	14,659.34	8,033.42	38,169.93

स्त्रोत : वार्षिक प्रतिवेदन, भारतीय जीवन बीमा निगम

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि निगम के कुल व्ययों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इन्हें नियन्त्रण करने का प्रयस करना चाहिए।

निगम का कुल विनियोग

भारतीय जीवन बीमा निगम एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली विनियोक्ता है। इसने भारतीय पूँजी बाजार को सफलतापूर्वक प्रभावित किया है। जो निगम के बढ़ते हुए विनियोग की मात्रा एवं स्वरूप से स्पष्ट है। निगम के कुल विनियोग (पुस्तक मूल्य) निम्न सारणी से स्पष्ट है।

सारणी 8: निगम के कुल विनियोग (राशि करोड़ रूपयों में)

वर्ष	विनियोग राशि	सूचकांक	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (% में)
2011-12	13,49,531.91	100.00	6.55
2012-13	14,86,456.53	110.14	10.14
2013-14	16,84,690.48	124.84	13.14
2014-15	19,46,249.32	144.22	15.53
2015-16	21,09,253.34	156.30	08.38

स्त्रोत : वार्षिक प्रतिवेदन, भारतीय जीवन बीमा निगम

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि निगम के कुल विनियोगों में आलोच्य वर्षो के दौरान 1) गुना (56.30) से ज्यादा वृद्धि हुई है परन्तु वर्ष 2015–16 में निगम के कुल विनियोग की मात्रा में मात्र 08.38 प्रतिशत वृद्धि हुई है जो औसत वृद्धि से भी बहुत कम है।

भारत में एवं भारत के बाहर विनियोग

निगम के विनियोगों को राष्ट्रीय आधार पर विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि निगम के लगभग 99.8 प्रतिशत विनियोग भारत में विनियोजित है। मात्र 0.27 प्रतिशत विनियोग भारत के बाहर है। जो निम्न सारणी से स्पष्ट है।

सारणी 9: निगम का भारत में एवं भारत के बाहर कुल विनियोग

(राशि करोड़ रूपयों में)

वर्ष	भारत में विनियोग		भारत के बाहर विनियोग	
	राशि	कुल विनियोग का प्रतिशत	राशि	कुल विनियोग का प्रतिशत
2011-12	13,47,561.99	99.85	1,769.92	0.13
2012-13	14,84,047.80	99.83	2,408.61	0.16
2013-14	16,81,777.61	99.83	2,912.87	0.17
2014-15	19,43,207.18	99.84	3,042.14	0.16
2015-16	21,07,995.77	99.94	1,257.57	0.16

स्त्रोत : वार्षिक प्रतिवेदन, भारतीय जीवन बीमा निगम

उपरोक्त विनियोग के स्वरूप का विश्लेषण निम्न सारणी से स्पष्ट है।

सारणी 10: निगम का भारत में एवं भारत के बाहर विनियोग का मदवार विश्लेषण

(राशि करोड़ रूपयों में)

वर्ष	शेयर एवं प्रतिभूतियां	ऋण	अन्य विनियोग	कुल
2011-12	12,02,321.92 (1769.92)	88,379.64 (134.19)	56,859.70 (66.51)	13,47,561.29 (1970.62)
2012-13	13,07,762.56 (2142.54)	93,537.28 (136.55)	83,748.08 (129.52)	14,84,047.92 (2408.61)
2013-14	14,99,218.90 (2607.33)	1,00,296.81 (162.78)	82,264.11 (82.57)	16,84,690.48 (2912.87)
2014-15	17,74,092.55 (2846.47)	1,05,957.10 (149.50)	63,157.53 (46.77)	19,46,249.32 (3042.14)
2015-16	19,61,120.32 (1053.24)	1,07,556.48 (156.18)	39,318.97 (48.17)	21,09,253.31 (1257.59)

स्त्रोत: www.dbi.reportoninvestment

(प्रकोष्ठ में दी गई राशि भारत के बाहर विनियोग प्रदर्शित करती है।)

निगम देश के आर्थिक विकास, आधारभूत संरचना (बिजली, पानी, यातायात, आवास आदि) एवं सामाजिक उद्देश्य (सीवरेज, सफाई आदि) हेतु भी पर्याप्त राशि विनियोजित की है जो निम्न सारणी से स्पष्ट है।

सारणी 11: निगम द्वारा सामाजिक एवं आधारभूत संरचना हेतु विभिन्न संस्थाओं एवं योजनाओं को उपलब्ध कराई गई राशि

(राशि करोड़ रूपयों में)

वर्ष	बिजली	आवास	जलपूर्ति एवं सीवरेज	यातायात	अन्य	कुल
2011-12	15,707.27	7,476.81	21.72	1,734.71	21,457.59	27,398.10
2012-13	10,995.33	4,121.74	35.72	0.00	5012.13	20,164.92
2013-14	14,203.84	455.74	34.00	787.19	2,890.96	22,370.99
2014-15	15,840.00	7,392.03	33.49	76.94	11,515.35	34,857.81
2015-16	2,222.80	9,979.61	34.00	35.55	11,274.46	23,564.42

स्त्रोत : वार्षिक प्रतिवेदन, भारतीय जीवन बीमा निगम

इस प्रकार निगम ने लाभदायकता को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित विनियोग किये है। वैधानिक प्रावधानों एवं विनियोग नीति का ध्यान रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ एवं संतुलित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। औद्योगिक विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क विकास, आवास विकास क्षेत्र में निगम की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। जहाँ निगम ने एक ओर भारत की आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ता में योगदान दिया है वहीं दूसरी ओर सामाजिक उत्तरदायित्व से विमुख नहीं हुआ है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची:

- Annual Reports (2010-11 to 2015-16), Life Insurance Corporation of India.
- Chairman's Speech Review- Working results (2010-11 to 2015-16), Life Insurance Corporation of India.
- David F. Babbal, Frank J. Fabozzi: Investment Management for Insurers, John Wiley & Sons, Mumbai, 2010.
- Life Insurance Corporation Act, 1956.
- Singh S.P. : Pattern of Investment Managment in LIC, Sahitya Bhawan, Agar, 2008.
- www.licindia.com.
- www.insurance.com.

❑❑❑